संख्या-49/2024/2749/23-9-2023-23-9099/3474/2020

लोक निर्माण अनुभाग-9- लोक निर्माण विभाग पार्ट-3

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा में गोण्डा जिला मार्ग पर गोण्डा बाराबंकी रेल सेक्शन के लेविल क्रासिंग संख्या-263 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु परियोजना की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लो0नि0वि0 के पत्र सं0-1421/आर0ओ0बी0/देवीपाटन क्षेत्र/सेतु-3/2023, दिनांक 20.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-09/2022/आई0/130016/2022-23-9099/3474/2020, दिनांक 06.01.2022 द्वारा जनपद गोण्डा में गोण्डा जिला मार्ग पर गोण्डा बाराबंकी रेल सेक्शन के लेविल क्रासिंग संख्या-263 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु परियोजना हेतु लागत रू0 4516.16 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0 योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा में गोण्डा जिला मार्ग पर गोण्डा बाराबंकी रेल सेक्शन के लेविल क्रासिंग संख्या-263 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु परियोजना हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू0 2784.86 लाख में स्टील, स्टैण्ड वायर एवं अन्य निर्माण सामग्री की दरों में वृद्धि तथा रेलवे विभाग द्वारा मुख्य सेतु(रेलवे पोर्शन) का संशोधित प्रोफाईल स्केच उपलबध कराये जाने के कारण मुख्य सेतु(रेलवे पोर्शन) की लम्बाई में वृद्धि, सम्बन्धि अन्य विभागों द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य की लागत में वृद्धि किये जाने एवं भूमि अधिग्रहण हेतु सर्विस दरों में वृद्धि होने के दृष्टिगत व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.02.2024 में अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 45,16,16,000/- (रूपये पैतालीस करोड़ सोलह लाख सोलह हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	पूर्व स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5
1	गोण्डा	गोण्डा जिला मार्ग पर गोण्डा बाराबंकी रेल सेक्शन के लेविल क्रासिंग संख्या-263 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य।	2784.86	4516.16

(1) नाबार्ड योजनान्तर्गत सेतुओं के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(2) उक्त परियोजना में रेलवे के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तवित भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राम शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(3) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वितीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नाबार्ड की शर्तों एवं योजना के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पुनरीक्षित लागत के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602//दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रशा0 विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) प्रशा0 विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(9) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(10) उक्त परियोजना में शासनादेश सं0-09/2022/आई0/130016/2022-23-9099/3474/2020 , दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित सुसंगत शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

भवदीय

शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- महाप्रबंधक रेलवे, संबंधित जोन द्वारा मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
14- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
15- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in